

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ राजस्थान

क्रमांक:-जिशिअ/प्रा०/हनु/मान्यता/2016/ 1874

दिनांक:- 21-11-16

सचिव,

मदान इन्टरनेशनल स्कूल,
सतीपुरा बाईपास रोड सतीपुरा, त. हनुमानगढ़,
जिला हनुमानगढ़ ।

विषय:-नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ॥ के उप नियम (4)के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र ।
महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 30.4.2016 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश मदान इन्टरनेशनल स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) सतीपुरा बाईपास रोड, सतीपुरा, तह: हनुमानगढ़ को कक्षा 1 से 5 कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हू। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है ।

2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा ।

3. विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा ।

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा । यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है ।

7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि:-

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा ।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विषेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना ।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे ।

(7) अध्यापक अधिनियम की अधारा 24(1)के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(8) अध्यापक रख्यां को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे ।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

9. विद्यालय अधिनियम की अधारा-19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा ।

3


PRESIDENT

10. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्र 0 10044 वर्ग मी.

कुल निर्मित क्षेत्र :- 2871 वर्ग मीटर

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल:- 3795 वर्ग मीटर

कक्षा कमरों की संख्या : 24

प्रधानाध्यापक कक्ष :- 01

कार्यालय कक्ष:- 01

अध्यापक कक्ष:- 03

खेलकूद कक्ष:- 01

भण्डार गृह:- 03

सभा कक्ष:- 01

पुस्तकालय 01

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :- है

पेयजल सुविधा :- है

अध्यापक पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो / पुस्तकालय की उपलब्धता:- उपलब्ध है।

11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।

13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ को भेजी जानी चाहिए।

16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड 12 | 16-17 संख्याक है। कृप्या इस नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उत्तेज करें।

17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालना करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत, अनुपालना को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि हो को सुनिश्चित किया जाए।

19. संलग्न उपाधंग गा के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

21-11-16
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक, हनुमानगढ़

BHAVNA MITTAL

Principal

Madaan International School

Chak 50 NGC, Satipura Bypass

Hanumangarh - 335512 (Raj.)

Aff. No. 1730899, School No. 11257

Madaan Educational & Charitable Trust